न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

1. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2497 सन 2026

CNR. No.UPSP010062732026

1. सिकन्दर पुत्र अख्तर।
2. अबूजर पुत्र महताब।
3. शोएब पुत्र नौशाद।
निवासीगण–ग्राम तांशीपुर, थाना नागल, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 184/2026
धारा 191(1),191(2),109(1),115(2),
324(4),351(3),352 बी.एन.एस
व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्टमेंट एक्ट 1932,
थाना नागल, जिला सहारनपुर।

एवम्

2. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3036 सन 2026

CNR. No.UPSP010071972026

समीर पुत्र तारीक निवासी–ग्राम तांशीपुर, थाना नागल, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 184/2026
धारा 191(1),191(2),109(1),115(2),
351(3),352 बी.एन.एस
व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्टमेंट एक्ट 1932,
थाना नागल, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

10.07.2026

उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या 184/2026 थाना नागल, जिला सहारनपुर से सम्बन्धित हैं, जिस कारण उक्त जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **सिकन्दर, अबूजर व शोएब** की ओर से धारा **191(1), 191(2), 109(1), 115(2), 324(4), 351(3), 352 बी.एन.एस व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्टमेंट एक्ट 1932,** एवं प्रार्थी/अभियुक्त **समीर** की ओर से धारा **191(1),191(2),109(1),115(2),351(3),352 बी.एन.एस व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्टमेंट एक्ट 1932,** के अर्न्तगत जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं के शपथ पत्र दाखिल किये गये है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी/उ0नि0 संजय कुमार द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 02.06.2026 को ग्राम तांशीपुर में दो पक्षो में हो रहे झगडे की सूचना पर अपने निजी वाहन से मौके पर पहुंच कर देखा गया कि प्रथम पक्ष के गुलशेर, मीर आलम उर्फ काला, छोटा उर्फ मनव्वर, दिलशाद, सददाम, सिकन्दर, अबूजर, जाबिर, सलमान, लालू, एहतशाम, शोएब, अहमसान, अहकाम व द्वितीय पक्ष के सारिक, तारिक, अल्तमश, वानिश, समीर, अमीर, सददाम, अरशद, साबिर एक–दूसरे पर लाठी–डंडो व लोहे की राड से जान से मारने की नीयत से वार कर रहे थे, जिससे गांव में अफरा–तफरी व भय का माहौल पैदा हो गया, और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर–उधर भाग रहे थे तथा लोगो ने भय के कारण अपने–अपने घरों के दरवाजे बन्द कर लिए।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें मुकदमा उपरोक्त में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। किसी भी पक्ष को कोई प्राणघातक अथवा साधारण चोट नहीं है इसलिए धारा 109(1) बी0एन0एस0 एवं अन्य धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थीगण ने कोई झगड़ा नहीं किया है। जिस प्रकार से पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है उस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थीगण का तथाकथित घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण शोएब एवं समीर का कोई आपराधिक इतिहास नही है तथा प्रार्थी/अभियुक्त सिकन्दर के विरूद्ध वर्ष 2006 को एक मुकदमा तथा अभियुक्त अबूजर के विरूद्ध एक पूर्व मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण विवेचना व विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने का अधिकारी हैं।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध एक राय होकर एक–दूसरे के साथ गाली गलौच करते हुए, जान से मारने की नीयत से लाठी–डंडो व लोहे की राड से मारपीट कर भय व आतंक का माहौल उत्पन्न करने तथा घरो की छतो व दीवारो पर पत्थरबाजी कर क्षतिग्रस्त करने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्तगण एवं सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 109(1),191(1),191(2),115(2),351(3),352 बी.एन.एस व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्टमेंट एक्ट 1932 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324(4) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। केस डायरी पर उपलब्ध आहतो की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत अल्तमश के बांये हाथ पर रेड स्केब्ड, आहत सारिक के बांये हाथ की छोटी अंगुली पर रेड स्केब्ड, आहत दिलशाद के दांये एन्कल ज्वाईट पर रेड स्केब्ड, आहत तारिक के हाथ व घुटने पर रेड स्केब्ड व ब्लू कन्टयूजन की चोटे आना उल्लेखित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना के दौरान अभियुक्त पक्ष व दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा एक दूसरे पर पथराव व एक दूसरे के साथ मारपीट किये जाने से मौके पर जनता के लोगों में डर व भय का माहौल उत्पन्न होना अभिलिखित है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। प्रस्तुत प्रकरण में अन्य अपराधो के साथ–साथ धारा 109(1) बी.एन.एस का भी आरोप है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास के दण्ड का प्राविधान है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किए आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **सिकन्दर, अबूजर व शोएब तथा समीर** की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना को प्रेषित की जाये।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0 3036/2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः–10.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891